

12/18

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

खिलाफती को धरकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दायमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावारी।

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	खता संख्या	र
रामगढ़ खान (खान 51/10) रामगढ़ खान लोक अदालत	रामगढ़ खान (खान 51/10) रामगढ़ खान लोक अदालत	178 ग/ग 173 ग/ग	2
		खता संख्या	

आदेश :-
Rajendra Singh
व भू.अ.नि. को रिपोर्ट की प्रथम पत्र एवं पदवारी
खिलाफती की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसूचना में
रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सन्दर्भ
173 प्रविष्टि वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निप्रतिष्ठित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड
में दिखे जाते हैं:-

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
पीठासीन लोक अदालत / कैम कोर्ट) कैम. रामगढ़